संख्याः जीएडी–बी (एफ) 7–1/2016–1
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
जीएडी अनुभाग–ख

प्रेषक

अति मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

समस्त प्रशासनिक सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

दिनांक , शिमला–2, 30-03-2017

विषयः हि0प्र0 ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की दिनांक 20.1.2017 को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में धर्मशाला में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही विवरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे हि0प्र0 ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की दिनांक 20.1.2017 को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में प्रयास भवन, धर्मशाला में सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रति आपको भेजते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने विभाग से सम्बन्धित मदों बारे आवश्यक कार्यवाही तुरन्त अमल में लाने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना इस विभाग को उपलब्ध करवाए ।

भवदीय

(सुरेन्द्र कुमार)
उप सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष–0177–2622186

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त दिनांक शिमला–2.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु अग्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2.
2. प्रधान सलाहकार, मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2.
3. प्रधान निजी सचिव, मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
4. निजी सचिव सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
5. समस्त गैर–सरकारी सदस्य हि0प्र0 ब्राह्मण कल्याण बोर्ड ।
6. समस्त उपायुक्त, हि.प्र.

उप सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

हि0 प्र0 ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.01.2017 को प्रयास भवन, धर्मशाला में सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही।

विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री, उपाध्यक्ष माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व अन्य उपस्थित गणमान्य सदस्यों व अधिकारी गणों का स्वागत किया गया ।

तत्पश्चात बोर्ड के उपाध्यक्ष माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ0 (कर्नल) धनीराम शांडिल जी ने बैठक में उपस्थित मा0 मुख्य मंत्री महोदय व अन्य सभी गणमान्य सदस्यों व अधिकारी गणों का स्वागत किया तथा माननीय मुख्य मंत्री महोदय का विशेष रूप से बैठक के लिए समय उपलब्ध करवाने का आभार व्यक्त किया ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने संदेश में सभी सदस्यों व अधिकारीगणों से सकारात्मक चर्चा का आग्रह किया तथा बैठक में लिए गए निर्णयों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये ।

तदोपरान्त मदों पर चर्चा के उपरान्त निम्न लिखित निर्णय लिए गए :–

मद्द संख्या 1: प्रथम व द्वितीय बैठक की अनुवर्ती मददों की समीक्षाः–

1. **आर्थिक आधार पर आरक्षण सुविधा प्रदान करनाः** कुछ सदस्यों का यह मत था कि सरकारी सेवा में जाति के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण के साथ–साथ आरक्षण सुविधा कमज़ोर आर्थिक दशा पर भी आधारित होनी चाहिए ताकि सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को भी आरक्षण के लाभ प्राप्त हो सकें ।

निर्णयः– अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा श्रेणी III–IV के सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में बी.पी.एल. परिवारों के सदस्यों के लिए 15% आरक्षण का प्रावधान किया गया है । जिसके अन्तर्गत सभी समुदायों व जातियों के बी.पी.एल. परिवारों के सदस्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

जहां तक इस विषय को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से उठाए जाने बारे दिए गए आश्वासन का सम्बन्ध है इस बारे दिये गए **विभागीय उत्तर तथा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव(कार्मिक) द्वारा वर्णित स्थिति के दृष्टिगत मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।**

(कार्मिक विभाग)

2. **प्रत्येक ज़िला स्तर पर परशुराम सामुदायिक भवन निर्मित करने हेतु सरकारी भूमि/ सहायता प्रदान करनाः** – सदस्यों द्वारा यह मांग की गई कि प्रत्येक ज़िला स्तर पर ब्राह्मण समुदाय को बैठक के आयोजन के लिए एक निश्चित

स्थान उपलब्ध करवाने हेतु कम से कम 6 विस्वा सरकारी भूमि आंवंटित की जाए तथा परशुराम सामुदायिक भवन निर्मित करने हेतु बजट का प्रावधान रखा जाए ।

निर्णयः–

प्रत्येक ज़िला स्तर पर परशुराम सामुदायिक भवन बनाने के लिए भूमि प्रदान करने के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) द्वारा सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए कि जब भी उनके ज़िला में परशुराम सामुदायिक भवन बनाने के लिए सम्बन्धित संस्था द्वारा हि0प्र0 पट्टा नियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन किया जाए तो वह तुरन्त उस प्रस्ताव को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर सरकार को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित करें ।

तहसील जयसिंहपुर मे निर्माणाधीन परशुराम सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए सम्बन्धित सदस्य द्वारा की मांग की गई जिस पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा विचार किये जाने का आश्वासन दिया गया ।

(राजस्व विभाग/ समस्त उपायुक्त)

3. विभिन्न सरकारी योजनाओं में आर्थिक आधार पर लाभ देनाः सदस्यों द्वारा यह मांग की गई कि सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु आर्थिक आधार निश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें विशेष कर इन्दिरा/ राजीव आवास योजना का उल्लेख किया गया ।

विभागीय उत्तरः

ग्रामीण विकास विभाग :– वर्तमान में प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इन्दिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना तथा राजीव गांधी आवास योजना का कियान्वयन किया जा रहा है जिन में आर्थिक रूप से कमजोर , उच्च जाति के लोगों को भी लाभ दिया जा रहा है ।

प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य मन्त्री आवास योजना शुरू की गई है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जाति के लोगों को लाभ दिए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैंः–

(क) नगर एवं ग्राम योजना विभागः– हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 के नियम 16 के अर्न्तगत भवन के मानचित्र पारित करवाने हेतु कमजोर वर्ग के लोगों से कोई फीस प्रभारित नहीं की जाती है। साथ ही इनकी सुविधा हेतु उक्त नियमों के परिशिष्ट–1 में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्लॉटो का न्यून्तम क्षेत्र 60 वर्ग मीटर तक नियत किया गया है।

(ख) आयुर्वेद विभागः– आयुर्वेद विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना व मुख्य मन्त्री स्टेट हैल्थ केयर स्कीम का लाभ दिया जा रहा है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे व मुख्य मन्त्री स्टेट हैल्थ केयर योजना के तहत 80 वर्ष से ऊपर, एकल नारियाँ, आँगनबाडी कार्यकर्त्ता / सहायक, मिड डे मील वर्कर, दैनिक वेतन भोगी , अनुबन्ध कर्मचारियों व 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगो को लाभ दिया जा रहा है ।

(ग) उद्यान विभाग :– प्रदेश के अधिकतर बागवान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते है । राज्य योजना के अन्तर्गत उद्यान सामग्री पर अनुसूचित जाति , जन जाति व पिछड़ा वर्ग के बागवानों को 50 प्रतिशत तथा सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त बागवानों को कमशः 25 व 33 प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा विभाग द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, जैसे कि बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत समस्त बागवानो को समान रूप से अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है ।

(घ) खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग :– विभाग प्रदेश की समस्त जनता को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राज्य अनुदानित योजना के अन्तर्गत खाद्यान, चीनी, दाले, तेल व नमक निर्धारित मूल्य व मात्रा अनुसार आबंटित कर रहा है ।

(ड)शहरी विकास विभागः– शहरी विकास विभाग में दो ऐसी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें चल रही है जिनका सम्बन्ध किसी विशेष जाति व वर्ग से न होकर केवल आर्थिक आधार पर निश्चित है। ये दोनों योजनाएं इस प्रकार हैः–

(i) राष्ट्रीय (शहरी) आजीविक मिशनः–न्यूनतम आय रू0 1.00–2.00 लाख तक (EWS&LIG) वार्षिक आय वर्ग वाले इसके पात्र है।

(ii) प्रधान मन्त्री आवास योजना (सभी के लिए आवास):– इस स्कीम में पात्रता मु0 3.00 लाख रूपये तक (LIG)वर्ग वाले व्यक्ति इसके पात्र होंगे।

निर्णयः विस्तृत चर्चा उपरान्त इस विषय पर यह निर्णय लिया गया कि बी.पी. एल श्रेणी में सम्मिलित सभी वर्गों के पात्र व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने बारे सम्बन्धित विभाग आवश्यक कार्यवाही करेंगे व अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर उच्च जाति के लोगों को भी इन्दिरा आवास योजना ,राजीव आवास योजना इत्यादि स्कीमों के तहत लाभ देने हेतु सरकार विचार करेगी ।

इस मद पर दिए गए विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा के दौरान यह अवगत करवाया गया कि रू0 25 करोड़ का बजट मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 10 ज़िलों (किन्नौर व लाहौल स्पिति के अलावा) को आबन्टित किया जा चुका है जिसके कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक ब्लॉक स्तर को निर्देश जारी कर दिए गए है ।

मुख्य मंत्री महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि योजना के तहत आर्थिक आधार पर ही लाभ प्रदान किया जाएगा।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग)

4. **बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को पहचान पत्र जारी करनाः** सदस्यों द्वारा मांग की गई कि प्रत्येक सदस्य को पहचान पत्र जारी किए जाएं ताकि इन्हें सरकारी कार्यालयों में कार्य करवाने हेतु समन्वय (co-ordination) प्राप्त हो सके ।

विभागीय उत्तर

विभाग में जिन सदस्यों से पहचान पत्र जारी करने हेतु दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उन सभी को पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं।

निर्णयः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(सामान्य प्रशासन विभाग)

5. **मन्दिरों की भूमि का स्वामित्व वापिस किया जायेः–** मन्दिरों की भूमि का स्वामित्व वापिस किया जाये ताकि सदियों से चल रहे धार्मिक कार्य सुचारू रूप से चलाए जा सके ।

(श्री डी0डी शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

निर्णयः– बोर्ड के अध्यक्ष मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सदस्यों को यह अवगत करवाया गया कि मन्दिरों की भूमि का स्वामित्व वापिस नहीं लिया जा सकता क्योंकि पूर्व में जिन मन्दिरों के पास भू–जोत सीमा से अधिक भूमि थी अथवा जिनकी भूमि मुजारों के कब्जे में थी ऐसी भूमि या तो हि0 प्र0 भू–जोत सीमा अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत सरकार में निहित हुई है अथवा हि0प्र0 मुजारियत एवं भू–सुधार अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत मुजारों में निहित हुई है। सरकार के नियम/ अधिनियम के अन्तर्गत यदि भूमि किसी के नाम नीहित हो गई है तो उसे अब वापिस लेना सम्भव नहीं है ।

सदस्यों द्वारा मन्दिरों की भूमि पर कारदारों द्वारा किए गए अवैध कब्ज़े सम्बन्धी सभी उपायुक्तों के माध्यम से मन्दिरों की ऐसी भूमि को चिन्हित करवा जानकारी एकत्रित करवाने हेतु आग्रह किए जाने पर माननीय मुख्य इस बारे मंत्री द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया ।

(भाषा कला एवं संस्कृति विभाग /राजस्व विभाग/ समस्त उपायुक्त)

6. **विभिन्न देवालयों ,मन्दिरों एवं देव स्थानों के प्रबन्ध के लिएं ब्राह्मण सभाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेः**–राजकीय संरक्षण में प्रदेश के विभिन्न

देवालयों ,मन्दिरों एवं देव स्थानों के उचित रखरखाव एवं आर्थिक अनुष्ठान ,यज्ञ एवं पर्व के प्रबन्धन में ब्राह्मण सभाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाये ताकि ये मन्दिर पवित्रता तथा आदर्श वैदिक एवं सनातन धर्म के संरक्षक तथा धार्मिक श्रद्धा के प्रतीक बने रहे साथ ही ये मन्दिर साधू संतो के आश्रय के स्थान बन सकें न कि व्यवसायिक केन्द्र ।

(श्री ललित मोहन शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

निर्णयः– मन्दिरों का रख–रखाव व अन्य अनुष्ठान ब्राह्मणों द्वारा ही किया जाता है , मन्दिर प्रबन्धन कमेटी में ब्राह्मण बोर्ड के सदस्यों को मनोनीत करने बारे उठाई गई मांग का उत्तर देते हुए माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय ने सदस्यों को यह अवगत करवाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन कमेटियों में सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया गया होता है जिस कारण वहां होने वाली समस्त गतिविधियों की सरकार को जानकारी रहती है व इस उद्देश्य हेतु अलग से ब्राह्मण बोर्ड के सदस्यों को मन्दिर प्रबन्धन कमेटी में मनोनीत करने की आवश्यता नहीं है ।

पूर्व बैठक में खेगसू भवानी मन्दिर का संरक्षण सरकार के अधीन लेने का विशेष उल्लेख हिया गया था जिसके सन्दर्भ में सचिव (भाषा कला एवं संस्कृति) द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि खेगसू भवानी मन्दिर का संरक्षण सरकार के अधीन ले लिया गया है ।

अतः चर्चा उपरान्त मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(भाषा कला एवं संस्कृति विभाग/ समस्त उपायुक्त)

7. मंदिरों में वृहद पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए तथा प्रत्येक मंदिर न्यास द्वारा संस्कृत के महाविद्यालय खोले जाने चाहिए व मंदिरों के पुजारियों के लिए समय–समय पर कर्मकाण्ड और ज्योतिष के शिविर लगाए जाने चाहिए व एक मंदिर न्यास बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए :–

हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से विश्वविख्यात है । हमारे सिद्ध पीठों नैना देवी, चिंतपुर्णी , ज्वालामुखी और चामुंडा आदि मंदिरों में वृहद पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए तथा प्रत्येक मंदिर न्यास द्वारा संस्कृत के महाविद्यालय खोले जाने चाहिए जहां कर्मकाण्ड और ज्योतिष का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से संचालित किया जाना चाहिए । भव्य पुस्तकालय का निर्माण तथा वहां पुस्तकालय अध्यक्ष की स्थाई नियुक्ति की जानी चाहिए। मंदिरों के पुजारियों के लिए समय–समय पर कर्मकाण्ड और ज्योतिष के शिविर लगाए जाने चाहिए । मंदिरों का सम्पूर्ण विकास हो इसके लिए जिस प्रकार से राजपूत कल्याण बोर्ड एवं ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है, उसी प्रकार से जितने भी मंदिरों के न्यास है उन सभी का एक मंदिर न्यास बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए । ऐसा करने पर सभी मंदिरों का सामूहिक विकास एवं एकरूपता आएगी ।

(डॉ मस्त राम शर्मा/ श्री संजीव धर, गैर सरकारी सदस्य)

निर्णयः– चर्चा उपरान्त मंदिर न्यास बोर्ड का भी गठन मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(भाषा कला एवं संस्कृति विभाग)

8. प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालय एवं अकादमी खोले जाए तथा उनके लिए राशि स्वीकृत किया जाएः– हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से शिक्षा कांति लाई है । दूरस्थ से दूरस्थ स्थानों में स्कूल व कॉलेज खोले है, इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिला में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोले जाने चाहिए । वर्तमान में जिला कुल्लू और जिला चंबा आदि में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। हिमाचल संस्कृत अकादमी संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार के लिए भूमि का चयन शिमला ग्रामीण के मरहोग (घनाहट्टी) के पास प्रकिया शुरू की गई है । अतः मरहोग की सरकारी भूमि को संस्कृत अकादमी खोलने के लिए लगभग 5 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

(डॉ मस्त राम शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

विभागीय उत्तरः :– शिक्षा निदेशालयः–इस संदर्भ में जिला कुल्लू , जिला चम्बा व पंजगाई , जिला बिलासपुर में चल रहे संस्कृत महाविद्यालयों को अधिग्रहण करने बारे इस निदेशालय द्वारा सरकार को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तावना सूचना भेज दी गई है ।

निर्णयः– जिला कुल्लू , जिला चम्बा व पंजगाई , जिला बिलासपुर में चल रहे संस्कृत महाविद्यालयों को अधिग्रहण करने बारे व कार्यवाही हो चुकी है । शिमला ग्रामीण के मरहोग (घणाहट्टी) में संस्कृत अकादमी खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सम्बन्धित विभाग विचार करेगा ।

(शिक्षा विभाग)

9. गऊ सदनों के रखरखाव हेतु उचित धन राशि के प्रावधान बारे :– प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई संस्थाओं द्वारा गऊ सदनों का संचालन किया जा रहा है और बेसहारा पशुओं की गम्भीर समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा हर पंचायत में एक एक गऊ सदन बनाना प्रस्तावित है परन्तु प्रर्याप्त धनराशि के बिना इन गऊ सदनों का ठीक ढंग से चल पाना सम्भव नहीं है। प्रदेश के बेसहारा पशुओं के पालन पोषण में मदद करना हर नागरिक चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में, का नैतिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों ,नगर पंचायतों और नगर निगमों को भी गऊ सेवा टैक्स के रूप में कर लगा कर गऊ सदनों को चलाने में मदद करनी चाहिए तथा शराब की बिकी पर दो से तीन रूपये (जैसा उचित हो) प्रति बोतल गऊ सेवा शुल्क लगाकर कर एकत्रित धनराशि पशुपालन के माध्यम से गऊ सदनों को उपलब्ध करवाई जाए।

यदि ए0पी0एल0परिवारों को पी0डी0एस0 द्वारा कम मुल्य पर राशन मिल सकता है तो गऊ सदनों को भी कम मूल्य पर आटा ,नमक भूसा आदि कम मूल्य पर दिया जाना

चाहिए। ए0पी0एल0 परिवारों से आटा गेहूं और चावल एक रूपया प्रति कि0 ग्रा0 और दालों तथा तेल पर दो रूपये प्रति कि0ग्रा0/लीटर अतिरिक्त लेकर गऊ सदनों के सहायतार्थ देना चाहिए।

(श्री अयोध्या लाल शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

इस विषय पर सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्यवाही निम्न प्रकार से है:–

(क) पशु पालन विभाग:– गऊ सदनों के रख रखाव हेतु राज्य पशु कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश तथा राज्य सरकार के पास उपलब्ध बजट से यथा सम्भव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

(ख) शहरी विकास विभाग:– An amount of Rs. 74.31 crores stands released to Urban Local Bodies as General Basic and Performance Grant under 13th Finance Commission. The department vide this office letter No. UD-H(E) 1/2006-Gen.Cir-8630-83 dated 13-08-2015 has already directed all the Urban Local Bodies to spend funds for construction and maintenance of Gosadan/ Gaushala/ shelter out of the funds under 13th Finance Commission.

As per the suggestion offered by Shri Ayodhya Lal Sharma, non official member with regard to provision of funds for maintenance of cow sadans by imposing liquor cess by the UD department, it is submitted that the department is already collecting cess on liquor @ Rs. 2/- per bottle (through Excise & Taxation Department) and the same is being distributed by the Excise & Taxation Department to concerned Urban Local Bodies for the development of the Committee concerned.

Moreover, in order to comply with the direction of the Hon'ble High Court, vide this office letter No. ULB-H-Loose-20889-20942 dated 11-02-2015 all the Urban Local Bodies have been requested to take necessary steps to establish/construct Gaushala/Gosadans/shelters for Cows and stray animals. But due to lean financial position of the Urban Local Bodies, it is very difficult to ULB's to comply above directions without adequate funds. Further, this Directorate has already sent a proposal to the Administrative Department for the enhancement of Cess on the sale of liquor @ Rs. 5/- instead of Rs. 2/- per bottle and the matter is under consideration with the Govt.

निर्णय:– सचिव पशुपालन द्वारा सदस्यों को अवगत करवाया गया कि सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में तीन गोसदन खोले जाएंगे । इस विषय पर आवारा पशुओं की समस्या को सुलझाने हेतु माननीय वन मंत्री द्वारा सभी को सहयोग देने का आग्रह किया गया।

पशु धन पंजिकरण हेतु सरकार की नीति को पूर्णतयः कार्यान्वित किए जाने हेतु हर क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति को सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किए जाने हेतु आदेश पारित किए गए ।

(पशु पालन विभाग/ गृह विभाग)

10. बन्दरों द्वारा फसलों के नुकसान की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना।

ब्राह्मण समुदाय के अधिकतर लोग किसान हैं तथा कृषि पर निर्भर हैं परन्तु कुछ वर्षों से बन्दरों द्वारा फसलों की तबाही से तंग आकर किसानों ने फसल बीजना लगभग बन्द कर दिया है क्योंकि फसल की बिजाई पर ही बन्दर बीज दानों को चुनना शुरू कर देते हैं और जो कुछ दाने उगते हैं उनके पौधों को नष्ट कर देते हैं। अब तो बन्दर हिंसक भी होते जा रहे हैं और महिलाओं ,बच्चों और बृद्धों पर हमले कर रहें हैं जिस की बजह से कुछ बहुमूल्य जाने भी गई हैं । सरकार को बन्दरों से फसलों को बचाने के लिये तुरन्त प्रभावी पग उठाने चाहिए। अभी तक विभाग ने इस बारे में जो भी पग उठाये हैं उनका कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ है। सरकार से अनुरोध है कि वन्य प्राणी विभाग वन भूमि पर प्राइवेट पार्क विकसित करके इस भीषण समस्या का शीघ्र और कारगर समाधान निकालें।

विभागीय उत्तरः– वन विभागः–सरकार ने बन्दरों की समस्या का निवारण करने हेतु कई कारगर कदम उठाए हैं जैसेः–

1. बन्दरों की नसबन्दी की जा रही है इसके लिए प्रदेश में 8 बन्दर नसबन्दी केन्द्र कार्यरत हैं दिनांक 17.07.2016 तक 1,10,225 बन्दरों की नसबन्दी की जा चुकी है। बन्दरों को नसबन्दी हेतु जिस स्थान से लाया जाता है, नसबन्दी उपरान्त उसी स्थान पर छोड़ा जाता है ।
2. बन्दरों को जंगलों में ही खाद्य सामग्री मिल सके इसके लिए समस्त मु0अ0/अरण्यपालों को निर्देश दिए गए है कि जंगलों में फलदार पौधे व झाड़ियां रोपित किये जाएं। इसका लाभ कुछ वर्षो में मिलना शुरू हो जायेगा ।
3. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.05.2016 द्वारा प्रदेश की 38 तहसीलों में एक वर्ष के लिए बन्दरों को पीड़क जन्तु घोषित किया है इस बारे समस्त मु0अ0/अरण्यपालों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए है ।
4. साईन बोर्ड, रेडियो व दूरदर्शन आदि के माध्यम से भी लोगों को जागृत किया जाता है कि बन्दरों को खाद्य सामग्री न डालें ।
5. जहां तक प्राइवेट पार्क खोलने का सम्बन्ध है इस बारे विभाग ने एक प्रस्ताव केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु भेजा था लेकिन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली की गाइडलाईन के अनुसार इन प्राणियों को 30 दिन से अधिक पार्क में नही रखा जा सकता जोकि एक चिडियाघर की परीधि में आता है । इसके लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण व माननीय सर्वोच्च

न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है जोकि एक जटिल प्रकिया है, क्योंकि पहले ही प्रदेश में बहुत से चिड़ियाघर मौजूद है।

निर्णयः— इस मद पर सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की विस्तृत जानकारी माननीय वन मंत्री महोदय द्वारा सदस्यों को दी गई व इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सदस्यों को सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत यह भी अवगत करवाया गया कि बन्दरों व आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु सोलर एनर्जी से current flow करने वाली बाढ़ तैयार करने हेतु experiment किया जा रहा है जिसे छूने से जानवर को करन्ट लगेगा जिससे वह उसके नज़दीक नहीं आएगा ।

अतः विस्तृत चर्चा उपरान्त मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(वन विभाग)

11. प्रिवैन्शन ऑफ एटरोसिटी एक्ट में प्रावधान किया जाये :—प्रिवैन्शन ऑफ एटरोसिटी एक्ट में शिकायत झूठी साबित होने पर शिकायतकर्ता को अन्य कानूनों की तरह सजा का प्रावधान, शिकायतकर्ता को अपराधी के लिए उचित मुआवज़ा देने का भी प्रावधान किया जाये ।

(श्री डी0डी शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

उत्तरः— (पुलिस विभाग) :— यदि प्रिवेनशन ऑफ एटरोसिटी एक्ट के अन्तर्गत शिकायत झूठी साबित हो तो दर्ज किये गये मामले में रदद् रिर्पोट तैयार की जाती है और शिकायतकर्ता के खिलाफ धारा 182 द0प्र0स0 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अन्वेषण के दौरान यदि दर्ज किये गये मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जुर्म साबित न हो तो इस अधिनियम की धारा अभियोग से हटाई जाती है। शिकायत झूठी साबित होने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 व नियम 1995 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नही है इसलिए इस अधिनियम में संशोधन किया जाना उचित है ताकि झूठे तथा राजनैतिक द्वेष से उत्पन्न मामलों पर अंकुश लगाया जा सके ।

निर्णयः— विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग/ गृह विभाग)

12. आरक्षण विशेष जाति को ले कर नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर किया जाएः– आरक्षण विशेष मुददा है जाति विशेष को ले कर नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर होना चाहिए अगर स्वर्ण समुदाय को न्याय दिलाना है तो आरक्षण को सार्वजनिक करना होगा । गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का यही एक लोकतन्त्र उपाय है। इस का आधार आर्थिक होना चाहिए। न्याय संगत है। आरक्षण का लाभ केवल एक बार ही रखा जाये।

(श्री मुन्शी राम शर्मा/श्री डी0डी0शर्मा/श्री ज्योति प्रकाश/श्री शिव कुमार कौल/श्री सुनील शर्मा/ श्री संजीव धर /प0 वेद प्रकाश शर्मा, गैर सरकारी सदस्य)

निर्णयः– विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(पंचायती राज विभाग)

13. भाट ब्राह्मण को OBC का प्रमाण पत्र बनाने हेतू आय शर्त समाप्त किया जाए :– जिस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आय की कोई शर्त नही है इसी तर्ज पर OBC का प्रमाण पत्र बनाने हेतू तथा OBC आरक्षण हेतू आय की शर्त को समाप्त किया जाए तथा इस मुद्दे को केन्द्र सरकार से उठाया जाये ।

(श्रीमति राजेश्वरी, गैर सरकारी सदस्य)

निर्णयः– अति0 मुख्य सचिव (कार्मिक / राजस्व) द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ओ.बी.सी श्रेणी आदि का प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष बनवाना सरकारी नियमों के अन्तर्गत अनिवार्य है ।

(राजस्व विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

14. The Loan facility to the ecomomically poor families be given @ 4% interest, as it is given by other Backward Classes Commision to run their business at small scale.

(Sh. Vijay Dogra Non-Official Member)

निर्णयः– सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किए जाने का निर्णय लिया गया ।

(वित्त विभाग)

15. शिलाई के नेनिधार व शाखोलि पंचायत में पीने के पानी की दिक्कत हो गई है । अतः इन पंचायतों में पीने के पानी के लिए उचित प्रबन्ध किया जाए।

(श्री एम0आर0पराशर , गैर सरकारी सदस्य)

विभागीय उत्तरः

शिलाई के नैनीधार व संखौली पंचायत में 14 गांव आते है पंचायत नैनीधार में तीन पेयजल योजनाएं क्रमशः बहाव पेयजल योजना नैनीधार , पेयजल योजना सिनियर सेकेडरी स्कूल नैनीधार, व उठाउ पेयजल योजना नैनीधार है । बहाव पेयजल योजना नैनीधार के अर्न्तगत संखौली पंचायत के नैना , धीराईना , घाटी, संखौली गांव आते है व तुम्बाडी, कलोग, षिवियाडी, खडराडीबोड व व0सी0स्कूल, नैनीधार गांव नैनीधार पंचायत में आते है । इसी प्रकार पंचायत सखौली में भी दो पेयजल योजनाए बहाव पेयजल योजना खडकाह व अंबोटा कार्यरत है जिनके अर्न्तगत नीचला बोड, खाडी, भुवन, खडकांह व अंबोटा गांव आते है।

गर्मियों के दिनों में स्त्रोतों में पेयजल की कमी के कारण इन पंचायतो में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है । अतः पेयजल समस्या से निपटने के लिए उठाउ पेयजल योजना नैनीधार का निर्माण तीन चरणों में किया गया है। योजना का कार्य 30.11.2016 को पूर्ण कर लिया गया तथा इसकी वितरण प्रणाली की टैस्टींग की जा रही है जिसे 02.02.2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा । योजना के चालू होने पर सभी गांवों में पेयजल सुचारू रूप से उपलब्ध हो जाएगा ।

निर्णयः– विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

(सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग)

16. वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर कुल्लू से लेकर शीशामाटी चैकपोस्ट तक सड़क की हालत अति दयनीय है नालियों का पानी सड़क पर वह रहा है सड़क पर टारिंग न होने के कारण बारिश के दिनों में किचड़ तथा साफ मौसम में धूल उड़ती रहती है और कई जगह गड्डों में पानी भरा रहता है। इससे वहां गुजरने वाले स्कूल के बच्चों, महिलाओं, बुर्जगों और कर्मचारियों को हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । अतः इस सड़क के किनारे की नाली को 2 फुट गहरा और सड़क की अच्छे से मुरम्मत करके उस पर टायरिग की जाए ।

(श्री संजीव धर , गैर सरकारी सदस्य)

निर्णयः–विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(लो0नि0 विभाग)

विभागीय उत्तरः

सम्बन्धित विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा ।

17. लोक निर्माण विभाग द्वारा झाकड़ी–गोहरा सड़क से आगे इण्ड तक लिंक रोड बनाये जाने हेतुः– लोक निर्माण विभाग द्वारा झाकड़ी–गोहरा सड़क से आगे इण्ड तक लिंक रोड बनाये जाने हेतु उचित कार्यवाही की जाए ।

निर्णयः— **विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।**

(लो0नि0 विभाग)

मद्द संख्या 2 : तृतीय बैठक हेतु प्राप्त नई मददें:—

2(1). निर्धन मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करना व उत्कृष्ट कार्य के लिए समान्नित करना :— ब्राह्मण समाज के निर्धन मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए तथा संनातन धर्म के उत्थान हेतु सरकार द्वारा ब्राह्मण समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को समान्नित किया जाना चाहिए ।

(श्री मुन्शी राम शर्मा, प0 देवी सहाय शास्त्री)

विभागीय उत्तरः

सामान्य प्रशासन विभाग :— संनातन धर्म के उत्थान हेतु सरकार द्वारा ब्राह्मण समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को समान्नित करने का प्रश्न है इस सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा **हिमाचल गौरव पुरस्कार** तथा **प्रेरणा स्रोत सम्मान** राज्य स्तरीय दो पुरस्कार प्रदान किये जाते है। यह पुरस्कार किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए उत्थान के लिए नहीं अपितु सार्वजनिक सेवा, सामाज सेवा, विज्ञान एवं यान्त्रिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और उद्योग, पर्यटन, कला एंव संस्कृति तथा खेल इत्यादि जैसे किसी भी क्षेत्र में किए गए अति विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किए जाते है।

निर्णयः— **प्रस्ताव पर विचार किए जाने का निर्णय लिया गया ।**

(शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग)

2(2). वृहद् पुस्तकालय खोलने व हि0प्र0 विश्वविद्यालय में भगवान परशुराम अध्ययन पीठ स्थापित किये जाने बारे :— देव परम्पराओं और वैदिक ग्रन्थों को सुरक्षित रखने के लिए कुल्लू में वृहद् पुस्तकालय खोला जाए ताकि विद्वान लोग वैज्ञानिक सोच के साथ शोध कार्य कर सके। पंजाब सरकार के निर्णय की तर्ज पर हि0प्र0 विश्वविद्यालय में भगवान परशुराम अध्ययन पीठ स्थापित किया जाए ।

(डॉ मस्तराम शर्मा, प0 वेद प्रकाश शर्मा)

निर्णयः— **प्रस्ताव पर विचार किए जाने का निर्णय लिया गया ।**

(शिक्षा विभाग, भाषा एवं संस्कृति विभाग)

2(3). कर्मकांड एवं ज्योतिष विद्या प्रदान करने हेतु ब्राह्मण प्रशिक्षुओ का हर ब्राह्मण गांव में सरकार द्वारा प्रबन्ध व सहायता प्रदान करना व कर्मकाण्ड प्रवेशिका को कौशल विकास भत्ते के साथ जोड़ना : कर्मकांड एवं ज्योतिष विद्या प्रदान करने हेतु ब्राह्मण प्रशिक्षुओ का हर ब्राह्मण गांव में सरकार द्वारा प्रबन्ध व सहायता प्रदान की जाए । हिमाचल सरकार के अधीन जितने भी संस्कृत कालेज चल रहे है , उन में कर्मकाण्ड प्रवेशिका के एक वर्षीय कोर्स चलाये जाए तथा इस कर्मकाण्ड प्रवेशिका को कौशल विकास भत्ते के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि बेरोजगार शिक्षित प्राणी इस योजना से लाभान्वित होकर स्वरोजगार के साधन अपना सके। ब्राह्मण वर्ग की निर्धनता तथा बेरोजगारी दूर करने के उपाए कर इस क्रम में औद्यौगिक एवं व्यवसाय प्रशिक्षण सस्थानों की स्थापना की जाए । ब्राह्मण कल्याण ट्रस्ट जिला कांगड़ा द्वारा तहसील पालमपुर के गढ़–जमुला में भवन बन रहा है जिसके साथ जमीन भी है आने वाले समय में सरकार की सहायता के साथ यहां महाविद्यालय की घोषणा की जाए ।

(श्री मुन्शी राम शर्मा, श्री हरिनन्द शास्त्री, श्री गुण प्रकाश शर्मा, श्री प्रतीम भारती, पं0 देवी सहाय शास्त्री)

निर्णयः– प्रस्ताव पर विचार किए जाने का निर्णय लिया गया ।

(शिक्षा विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, भाषा एवं संस्कृति विभाग)

2(4). नरसिंह भगवान के प्राचीन मन्दिर के जिर्णोद्धार बारेः–(i) नरसिंह भगवान का प्राचीन मन्दिर नगरोटा सूरियां में हैं, जिसकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे हुए हैं । इसके अतिरिक्त राजाओं के समय का शीतला मन्दिर है वहां पर बकरे काटे जाते हैं । यह मन्दिर इन्दोरा मन्दिर वार्ड के अधीन सरकार के संरक्षण में है । डैम में आई नरसिहं भगवान की ज़मीन का लाखों का क्लेम पड़ा है और मन्दिर के जिर्णोद्धार की आवश्यकता है । सरकार से मांग है कि इस मन्दिर की रिपेयर करवाई जाए और इसकी धर्मशाला को ठीक ढंग से बनवाकर यहां संस्कृत विद्यालय खोला जाए । पौंग झील के साथ लगती मन्दिर की भूमि से नाजायज़ कब्जे हटा कर यहां पर्यटको के लिए पार्क स्थापित किया जाए ।

(श्री सुनिल शर्मा शर्मा)

(ii) श्री नरसिंह मन्दिर नाहन जिला सिरमौर चिरकाल से उपेक्षित है इसकी 90 बीघ भूमि राजस्व विभाग में 70 बीधा ही रह गई है जिसकी जांच व सुरक्षा करके मन्दिर का विकास कर आवश्यक कार्रवाही की जाए ।

(पं0देवी सहाय शास्त्री)

निर्णयः– मुख्य सचिव महोदय ने सदस्यो को अवगत करवाया कि मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु सरकार की योजनाएं है अतः सरकार को प्रस्ताव भेजने पर

इस उद्देश्य हेतु धन उपलब्ध करवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग, उपायुक्त कांगड़ा, उपायुक्त सिरमौर)

2(5). शक्ति पीठों का एक शक्ति कल्याण बोर्ड का गठन करने बारे : हिमाचल प्रदेश के शक्ति पीठों का एक शक्ति कल्याण बोर्ड बनाया जाए जिसमें हिमाचल प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों से सेवा निवृत प्राचार्य को उपाध्यक्ष बनाया जाए, ताकि वैदिक परम्पराओं और वैदिक मन्त्रों को शुद्ध रूप से उच्चारित करने के लिए प्रयास किए जा सके ।

(डॉ मस्तराम शर्मा)

निर्णयः– प्रस्ताव पर विचार किए जाने का निर्णय लिया गया ।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग)

2(6). मन्दिरों के जीर्णोद्धार करने हेतु बजट प्रावधन :– हिमाचल प्रदेश में पुरातात्विक महत्व के मन्दिरों के पुजारियों के निर्वाह हेतु आर्थिक व्यवस्था का प्रावधान सुनिश्चित की जाए तथा मन्दिरों की बिगड़ती दशा तथा व्याप्त अव्यवस्था एवं कुव्यवस्था को सुधारने के उपाय सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। मन्दिरों के जीर्णोद्धार करने हेतु बजट में विशेष प्रावधान रखा जाए । मन्दिरों में स्थानीय निवासी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के सदस्य को कमेटी में उचित पद देना अनिर्वाय किया जाए । जिला कुल्लू के निरमण्ड में जो परशुराम मन्दिर है उसका सरकार जीर्णोद्धार करवाए या इसका दायित्व ब्राह्मण कल्याण परिषद् को सौपा जाए ।

(पं0 पवन कुमार ,श्री मुन्शी राम शर्मा, श्री प्रीतम भारती, पं0 वेद प्रकाश शर्मा)

निर्णयः– मुख्य सचिव महोदय ने सदस्यो को अवगत करवाया कि मन्दिरों के जीणोद्धार हेतु सरकार की योजनाएं है अतः सरकार को प्रस्ताव भेजने पर इस उद्देश्य हेतु धन उपलब्ध करवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग/ सम्बन्धित उपायुक्त)

2(7). जिला चम्बा के श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर व जिला कांगड़ा के पपरोला शहर में भगवान परशुराम ट्रस्ट के विस्तार हेतु अनुदान राशिः– श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर समूह चम्बा की तकरीबन छः हजार बीघा जमीन व अन्य सम्पतियों के सरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए। जिला कांगड़ा के पपरोला शहर

में भगवान परशुराम ट्रस्ट ने अपनी राशि द्वारा भवन बनाया है इसके विस्तार हेतु अनुदान राशि दी जाए ।

(पं0 पवन कुमार, प्रीतम भारती)

निर्णयः— मुख्य सचिव महोदय ने सदस्यो को अवगत करवाया कि मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु सरकार कि योजनाएं है । अतः सरकार को प्रस्ताव भेजने पर इस उद्देश्य हेतु धन उपलब्ध करवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग/ सम्बन्धित उपायुक्त)

2(8). सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय चम्बा का अधिग्रहणः— सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय चम्बा (पजीकृत) का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाए।

(पं0 पवन कुमार)

निर्णयः

सम्बन्धित विभाग द्वारा मामले की जांच / उचित कार्यवाही के आदेश पारित किए गए ।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग/ शिक्षा विभाग)

2(9). **Allotment of land on lease basis to Brahmin Kalyan Sabha, Rohru, District Shimla:** Case regarding providing 6 Biswas of Govt. land situated at mauza Gangtoli, Tehsil Rohru, Distt. Shimla comprised in Khasra No. 398/117/2/2/1 is pending with the Pr. Chief Conservator of Forests, HP for want of NOC. Kindly issue necessary directions to concerned for doing the needful.

(Devi Datt Sharma)

(वन विभाग)

निर्णयः सम्बन्धित विभाग को मामले की जांच / उचित कार्यवाही के आदेश पारित किए गए ।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग/ सम्बन्धित उपायुक्त)

2(10). आरक्षणः– गुजरात हाईकोर्ट के हाल ही में दिये गये निर्णय के अनुसार आरक्षित वर्ग का अभ्यार्थी अब अनारक्षित सीट पर आवेदन नही कर सकता है, यही नियम हिमाचल प्रदेश में भी लागू किया जाए ।

(श्री अजय शर्मा)

विभागीय उत्तरः

वर्तमान में राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के ऐसे उम्मीदवार, जो आरक्षण के आधार पर नहीं बल्कि अपनी योग्यता/उत्कृष्ठता के आधार पर (बिना आरक्षण का लाभ लिए) चुने/नियुक्त किए जाते है, केवल उन्हें ही अनारक्षित पदो के विरूद्व नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने बारे प्रायः केन्द्र सरकार में प्रचलित नीति/निर्देषों का अनुसरण करती है । इस बिन्दु पर केन्द्र सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेने के उपरान्त ही राज्य सरकार के स्तर पर विचार किया जाना संभव होगा ।

निर्णयः

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा अति0 मुख्य सचिव (कार्मिक) को यह आदेश दिए गए कि वह गुजरात हाईकोर्ट के सन्दर्भित निर्णय का अध्ययन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(कार्मिक विभाग)

2(11). आरक्षणः– आरक्षण केवल गरीब , दिव्यांग (अपंग), अनाथ व हर उस खिलाड़ी को, जिसने प्रदेश देश का नाम रौशन किया है तथा उन शहीदों के बच्चों को जिनके पास संसाधन नही बचे है, को ही मिलना चाहिए ।

(श्री विजय डोगरा)

विभागीय उत्तरः

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग (अपंग) और उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी–I से श्रेणी–IV के पदों में 3 प्रतिशत आरक्षण तथा बी0पी0एल0 परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे) के सदस्यों को श्रेणी– III व श्रेणी–IV के पदों पर भर्ती हेतु 15 प्रतिषत आरक्षण का प्रावधान किया गया है । राज्य सरकार सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने बारे प्रायः केन्द्र सरकार में प्रचलित नीति/निर्देशों का अनुसरण करती है तथा इस विषय में केन्द्र सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेने के उपरान्त ही राज्य सरकार के स्तर पर विचार किया जाना संभव होगा ।

निर्णयः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(कार्मिक विभाग)

2(12). शहर एवं ग्राम योजना की सारी शक्तियॉ नगर परिषद को देने बारेः—शहर एवं ग्राम योजना की सारी शक्तिये नगर परिषद कुल्लू को दी जाए । यदि प्लॉट के चारों ओर या एक से ज्यादा दिशा में सड़क / रास्ता लगता है तो फ्रंट सैट—बैक एक ही तरफ माना जाना चाहिए । पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सैट—बैक कम होने चाहिए । फ्रंट में 2.00 से 2.50 मीटर और अन्य साईड में 1.00 से 1.50 मीटर तक ही सेंट—बैक होने चाहिए । पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण एवरेज में ही सेंट—बैक माने जाने चाहिए। रिहायशी मकानों की और कमरों की उचाई लगभग 10 फुट मानी जानी चाहिए । फ्रंट में पूरी लम्बाई में बालकोनी होनी चाहिए । मंजिलों की संख्या कम से कम चार + पार्किंग होनी चाहिए। Un- authorized construction की फीस 10 गुना नहीं होनी चाहिए । बिजली व पानी का कनैक्शन मकान में बने सेटों के आधार पर ही मिलने चाहिए। कम्पाउंडिग फीस बहुत कम होनी चाहिए, ताकि आम आदमी को इसे देने में कोई भी आपति न हो ।

(श्री संजीवधर)

निर्णयः

शहरी विकास मंत्री द्वारा TCP act में की जा रहे संशोधन व नियमों में छूट देकर Un- authorized construction को नियमित करवाने हेतु one **time relaxation बारे सदस्यों को अवगत करवाया व चर्चा उपरान्त मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।**

(नगर एवं ग्राम योजना विभाग)

2(13). भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाना व चौक का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखने बारेः— हि0प्र0 के कांगड़ा शहर स्थित धर्मशाला—कांगड़ा रोड़ में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के सामने चौक पर भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने के लिए ब्राह्मण कल्याण परिषद् को दायित्व दें व चौक का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा जाए ।

(पं0 वेद प्रकाश शर्मा)

निर्णयः

उचित स्थान का चयन करने पर भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने पर विचार किया जा सकता है ।

(शहरी एवं ग्राम विकास योजना विभाग)

विभागीय उत्तरः

सम्बन्धित विभाग वस्तुस्थिति से बैठक में अवगत करवाएगा ।

2(14). सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तावित गृह निर्माण योजना :–सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तावित गृह निर्माण योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की तरह ब्राह्मणों को भी बराबरी का दर्जा प्रदान किया जाए । उदाहर्णाथः– जैसे पच्छाद ब्लॉक में एक ब्लॉक में यदि अन्य जातियों SC/ST को 20 गृह निर्माण स्वीकृत होते है तो वहां OBC ब्राह्मण को दो या तीन गृह निर्माण की स्वीकृति मिलती है ।

(श्री मति राजेश्वरी शर्मा, पं0 देवी सहाय शास्त्री)

निर्णयः

मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के आर्थिक आधार से कमजो़र श्रेणी को लाभ दिए जाने का प्रावधान रखा गया है । उक्त के दृष्टिगत मद समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ।

(ग्रामीण विकास विभाग)

2(15). नगरोटा के सूरियां में बस स्टैंड बनाने बारे : पर्यटन की दृष्टि से सूरियॉ में बस स्टैण्ड बनाया जाए ।

(श्री सुनिल शर्मा)

निर्णयः **सम्बन्धित विभाग को प्रस्ताव की जांच के आदेश दिए गए ।**

(परिवहन विभाग)

विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) के धन्यवाद प्रस्ताव सहित बैठक समाप्त हुई ।

उप सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

****